[श्री कंवर लाल गुप्ता

जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

Mr. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961."

The motion was adopted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I withdraw the Bill.

17.21 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C)]

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : Sir, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । श्रीमन्, अपने जीवन का सब से समहत्वपूर्ण और सुखद दिन मैं आज मानता हूं जबकि भारत की सर्वोच्च पंचायत के सामने मैं यह महत्वपूर्ण विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि संविधान का यह संशोधन विधेयक न केवल आज की पीढ़ी बल्कि अनन्तकाल तक भारत की भूमि पर पैदा होने वाली संतानों से सम्बन्ध रखता है । हमारे संविधान में आज से 28 वर्ष पूर्व निर्देशक सिद्धान्तों में अनच्छेद 41 में इस बात का समावेश किया गया था कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के स्तर को देखते हुए इस देश के निवासियों को काम का अधिकार प्रदान करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा और जो लोग बेकार होंगे, अपंग होंगे, वृद्ध होंगे उन को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । यह अनुच्छेद निर्देशक सिद्धान्तों में आज से 28 वर्ष पूर्व लिखा गया था । उस समय जिन लोगों ने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा होगा कि यह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा और समूचे भारत में जो बेरोजगार लोग हैं, उन को काम का अधिकार मिलेगा और जब तक काम उन्हें नहीं मिलेगा, तो सरकार उन्हें सहायता देगी बेकारी के भत्ते के रूप में, अनएम्पलायमेंट बनिफिट के रूप में या अनएम्प्लायमेंट एलाऊन्स के रूप में, जो कुछ भी उसे कहा जाए, उनको सहायता प्रदान की जाएगी । यह उनका सपना था लेकिन संविधान बनने के पश्चात् इस देश में चुनाव हुए, सरकारें बनीं और उन्होंने बड़े-बड़े वायदे भी किये और देश की जनता को आंखों में धूल भी झोंकी लेकिन इस निर्देशक सिद्धान्त का पालन कहीं भी नहीं किया गया, एक अक्षर भी पालन नहीं किया गया और यह संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में लिखा ही रह गया और हमारा संविधान निष्प्राण रह गया ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : बेलाडीला में क्या हुआ ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : बेलाडीला में क्या हुआ है, उस को छोड़िये । हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है । बेलाडीला की तरह के हज़ारों कांड कांग्रेस वालों ने किये हैं । मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले ने यह प्रश्न किया है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि संविधान निष्प्राण बना रह गया, संविधान का जो अनुच्छेद 41 था, उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं हुआ । मैं ऐसा मानता हूं कि यह अनुच्छेद संविधान का प्रण है । अगर किसी देश में लोकतंत्र रहना है, लोकतांत्रिक संविधान को अगर कार्यान्वियन करना है तो उस देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, देश की संतान को काम का अधिकार मिलना चाहिए, जीविका का अधिकार मिलना चाहिए । अगर हम जीविका के अवसर नहीं प्रदान कर सके

*Moved with the recommendation of the President.

तो लोकतंत्र कभी भी जीवित नहीं रह सकता, यह एक अकाट्य सत्य है। इतिहास हमें यह बताता है और इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा यदि हम इस सबक को भूल जाएंगे। हमारे पास-पड़ोस के देशों में जो कुछ हुआ है, उससे अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो इतिहास हमें क्षमा करने वाला नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें हमने पृष्ठ 11 में लिखा है। ग्यारहवें पृष्ठ पर लिखा है लेकिन उसे पढ़ने की मेरे साथ नेताओं की मजबूरी है। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपने देश की जनता को वचन दिया है कि हम संविधान के अनुच्छेद 41 को कार्यान्वित करेंगे, इसको मूर्त रूप प्रदान करेंगे और इस देश के सभी नागरिकों को रोजगार की पूर्ण सुविधा प्रदान करेंगे, राइट टू वर्क, अर्थात् काम करने का अधिकार हम इस देश के नागरिकों को प्रदान करेंगे। दूसरा वचन हमने यह दिया है कि देश के नागरिकों को पूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। तीसरा वचन हमने यह दिया है कि जो लोग बेकार हैं, निराश्रित और वृद्ध हैं, उन लोगों को जीविका कमाने लायक बनाने के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। ये वचन हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिये हैं।

हमको यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, बहुत हद तक उसने अपने वचनों को निभाया है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने वचन दिया था कि हम देश में लोकतंत्र पुनः बहाल करेंगे, हम देश के नागरिकों की भाषण की, संगठन बनाने की आजादी बहाल करेंगे। जनता पार्टी की सरकार ने उस वचन को पूरा किया है। आज देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि जनता पार्टी ने जो कहा था, उसका उसी तरह से पालन किया जिस तरह से भी हमारे यहां के महर्षियों ने कहा था—

"रघुकुल रीति सदा चली आयी
प्राण जाए पर वचन न जाई।"

चाहे प्राण चले जाए, पर वचन नहीं जाएगा। उसी तरह से हमने अपने वचन का पालन किया है। हमने उन सभी आजादियों को बहाल कर दिया है जिनका अपहरण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कर लिया गया था और लोगों को तानाशाही के शिकंजे में डाल दिया गया था। जनता पार्टी ने कानूनी असमानताओं को दूर करने का भी वचन दिया था जो कि इस देश में पैदा कर दी गयी थीं। जैसे कि प्रधान मंत्री के चुनाव को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस तरह के गन्दे और कुत्सित कानून बनाये गये थे। हमने उन कानूनों को भी निरस्त किया। यह भी कानून बनाया गया था कि संसद् में जो कुछ कहा जाएगा वह छप नहीं सकेगा। इस कानून को भी समाप्त किया गया। जितने भी इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम उठाये गये थे, उन सभी को जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। यह खुशी और गर्व की बात है।

लेकिन श्रीमन्, यह सब जो जनता पार्टी ने किया, यह सब अभी निष्प्राण है, इसमें प्राण फूंकने की आवश्यकता है। जब तक लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तब तक लोकतंत्र निर्जीव रहेगा। इस दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सब को जीविका के अवसर प्राप्त हैं लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है। रूस और चीन में बेकारी नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि वहां सभी को काम मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से वहां लोगों को अपने विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की आजादी नहीं है। हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि देश के किसी व्यक्ति को यह नहीं लगे कि राजनैतिक आजादी अथवा लोकतंत्र के रहते हुए जीविका का अवसर अथवा काम करने का अधिकार नागरिकों को मिल ही नहीं सकता। वे लोग यह न सोचने लगे कि चाहे लोकतंत्र समाप्त हो जाए लेकिन उन्हें जीविका का अवसर तो मिल जाय, काम का अधिकार प्राप्त करना है। ऐसी भावना

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

लोगों में नहीं आनी चाहिए । यह काम दुनिया के अन्दर सब से पहले अगर कोई देश कर सकता है तो वह हिन्दुस्तान कर सकता है क्योंकि हिन्दुस्तान दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है । उसको यह प्रमाणित करना है कि लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा ही देश के लोगों को जीविका के अवसर दिये जा सकते हैं, लोगों को काम का मौलिक अधिकार दिया जा सकता है । हमारे लोकतंत्र में कोई भूख से नहीं मरेगा, लोगों में यह भावना नहीं आने दी जाएगी कि लोकतंत्र निरर्थक है । यहां पर हर बच्चे को इस बात की गारन्टी होगी कि वह कभी भी इस देश में अपनी जीविका के अवसर से वंचित नहीं रहेगा । यह बात लोकतंत्रीय पद्धति में संभव हैं, ऐसा विश्वास जब तक हम देश की जनता को नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र में उतना विश्वास लोगों में नहीं जमेगा जितना कि जमना चाहिए । यह इस देश का महानतम उत्तरदायित्व है जिसको हमें निभाना चाहिये । आज दुनिया के जिन छोटे-छोटे देशों में लोकतंत्र है उन्होंने भी कामकाज का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान कर रखा है । आप जापान को लें । उसके संविधान में जो कि 1946 में बना था आर्टिकल्ज़ 26 और 27 में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है । कोई भी व्यक्ति विना काम के नहीं रहेगा यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है । यह जिम्मेदारी देश की, समाज की है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बिना भेदभाव के काम पाने का अधिकारी होगा ।

जर्मनी के वेमर कंस्टीट्यूशन को आप देखें उसमें भी काम का अधिकार लोगों को दिया गया है । आयरलैंड के कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल्ज 42 से 45 तक में काम का अधिकार वहां के लोगों को देने का प्रावधान है । आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से भारत ने प्रेरणा ग्रहण की थी । स्वयं महात्मा गांधी ने डी वलेरा से मुलाकात की थी और उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी । जिन देशों से हमने अपनी आजादी की लड़ाई में सहयोग लिया, प्रेरणा ग्रहण की या जिन को हमने प्रेरणा प्रदान की, आजाद होने के बाद उन देशों ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना । उन्होंने जो कुछ किया उससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए । आयरलैंड के संविधान में 42 से 45 तक के अनुच्छेदों में काम का अधिकार वहां के लोगों को दिया गया है । सोवियत रूस में तो है ही । वहां के कांस्टीट्यूशन में 118 से 121 आर्टिकल्ज काम के अधिकार के बारे में हैं । अपना संविधान संशोधन प्रस्तुत करते हुए मैंने भी इन्हीं तीन अनुच्छेदों को प्रस्थापित करने का प्रयास किया है ताकि जो वचन हमने देश की जनता को दिया है उसका हम निर्वाह कर सकें । लोग आशा भरी नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं । अगर यह संविधान संशोधन पास हो जाए तो न केवल यह जो जन क्रान्ति हुई है यह भारत के बल्कि दुनिया के इतिहास में अमर हो जाएगी । जनता पार्टी तो छोटी चीज़ है । दुनिया के इतिहास में हमारा यह जो महान् लोकतंत्र है यह अमर हो जाएगा क्योंकि यह विशालतम लोकतंत्र है । छोटे छोटे देशों के लोकतंत्र से दुनिया के लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती । वहां कुछ प्रयोग हुए हैं लोकतांत्रिक तरीकों से लेकिन उससे समूची दुनिया को प्रेरणा नहीं मिलती । रूस और चीन बड़े देश हैं लेकिन वहां लोकतांत्रिक आजादी का हनन करके यह अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है । दुनिया के लोगों को यह पता लगना चाहिये कि लोकतंत्र के रहते हुए भी काम पाने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो सकता है । बिना लोकतंत्र का हनन किए भी यह अधिकार प्रदान किया जा सकता है । रूस और चीन की बात तो आप जाने दें । पश्चिमी जर्मनी है, आयरलैंड है । वहां पर लोकतंत्र है । लेकिन वे हमारे मुकाबले में छोटे देश हैं ।

हिन्दुस्तान रूस से जनसंख्या में बड़ा है, चीन से आबादी में थोड़ा कम है । इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक ढंग से अगर इस चीज को हम कर दें तो दुनिया के सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी । इजराइल, जर्मनी या आयरलैंड से समूची दुनिया के लोगों को प्रेरणा नहीं मिल सकती है । हमारे महान जनतंत्र से उन्हें प्रेरणा मिलेगी । इतने बड़े मुल्क में लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा लोगों को काम का अधिकार दिया जा सकता है, जीविका का अधिकार दिया जा सकता है, उसकी गारंटी दी जा सकती है, तो वे कहेंगे कि क्यों न हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना कर, बिना अपनी आजादी को समाप्त किए जीविका का अधिकार प्राप्त करें । जीविका का अधिकार रहते हुए लोकतंत्र भी रह सकता है तो यह तो सोने में सुहागे वाली बात है । इससे बढ़ कर और कोई आदर्श हो नहीं सकता है कि रोजी का अधिकार भी रहे और लोकतंत्र भी रहे ।

देश की आज की स्थिति को आप देखें । यहां बैलाडीला की बात कही गई है । आंध्र में भी कुछ हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी हुआ है । सब जगह रक्तपात हो रहा है । छात्रों में गम्भीर असन्तोष है । उसकी प्रतिक्रिया अनेक रूपों में देखने को मिलती है । इस असन्तोष के कारण उनमें अनुशासनहीनता की भावना है । कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, पटरियों की फिश प्लेट्स उखाड़ी जारही हैं । भोपाल में मौलाना आजाद कालेज में आग लगा दी गई । कहीं यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर का घेराव होता है, उसे मारा-पीटा जाता है, छुरे चलते हैं । यह सब क्यों होता है ? लोग आसानी से कह देते हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता है, उदंडता है । कोई कहता है कि सिनेमा देखने के कारण इन में इस प्रकार की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई है । लेकिन इन बातों में कोई तथ्य नहीं है । हमें इस की गहराई में जाना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, हमारे देश की यह स्थिति क्यों है । मैं समझता हूं कि यह स्थिति केवल इसलिए है कि छात्रों और नौजवानों में अपने भविष्य के प्रति आशंका और अनिश्चितता की भावना है । आज हमारे देश में काश्मीर से ले कर कन्या कुमारी तक नौजवानों के सामने क्या भविष्य है ? आज उन्हें लगता है कि हम कितना ही पढ़-लिख जायें, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या हम एक पैसे की भी कमाई कर सकेंगे ।

पिछले दो दिनों से छठी योजना पर बहस चल रही है, जिसके बारे में हम ने कहा है कि हम इस योजना को एक रोजगार-अभिमुखी रूप प्रदान कर रहे हैं, रोजगार देना उसका पहला लक्ष्य है । लेकिन वह कैसे सम्भव होगा ? इस पर कौन विश्वास करेगा ? रोजगार-अभिमुखी होने की बात तो पहली योजनाओं में भी कही गई थी । इसलिए लोग कैसे इस पर विश्वास करें ।

अगर हम इस विधेयक को पारित करते हैं, तो फिर इस देश के नवयुवकों के हृदय में एक नई आशा का संचार हो जायेगा । वे कहेंगे कि जिस दिन हमारी उम्र 18 बरस से अधिक हो जायेगी, उस दिन हमें काम देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, और जब तक वह काम नहीं देगी, तब तक उसे हमें बेकारी का भत्ता देना पड़ेगा । किसी भी व्यक्ति के दिमाग़ में अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता नहीं रहेगी । आज जो असन्तोष व्याप्त है, जो उपद्रव और उत्पाद हो रहे हैं, उन सब को इस विधेयक को पारित करके, कलम की नोक से एक साथ समाप्त किया जा सकता है । यह पैनेशिया है । इस रोग की जड़ का पता लगा कर उसका निदान करना चाहिए । केवल गोली-लाठी चला कर और यूनिवर्सिटियों को बन्द करके हम छात्रों और युवकों के असन्तोष को समाप्त नहीं कर सकेंगे, चाहे कितनी गोलियां चलाई जायें, चाहे कितने लोगों को भून दिया जाये ।

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

आखिर बैलाडिला में यह काण्ड क्यों हुआ ? उन मजदूरों को लगा कि अगर हमारी छटनी हो जायेगी, तो कल से हमारा क्या होगा । हमारे बाल बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी । अभी तो उनको काम देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । अगर मेरा यह संविधान संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो गया होता, अगर मौलिक अधिकारों में काम और आजीविका प्राप्त करने का अधिकार भी जोड़ दिया गया होता, जिसको मैंने अनुच्छेद 23ए के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, तो सरकार इस बात के लिए बाध्य होती कि यदि जापान द्वारा आयरन और न खरीदो आने के कारण बैलाडिला में खदाने बन्द हो जाती हैं, तो भी उसे वहां के कर्मचारियों को दूसरा काम देना पड़ेगा और जब तक वह काम नहीं देगी, तब तक उन्हें बेकारी भभा देना पड़ेगा । यदि यह स्थिति होती तो बैलाडिला का हृदय विदारक काण्ड नहीं होता ।

यदि संविधान में इस आशय का संशोधन पहले से हो गया होता, तो पन्तनगर में जो कुछ हुआ है, वह क्यों होता ? वहां फार्म-लेबर के साथ जो व्यवहार हुआ, वह सर्वविदित है । सैकड़ों लोगों को भून दिया गया । अगर यह संशोधन पहले ही हो गया होता, तो पन्तनगर और बैलाडिला के जैसे कांड न होते, बच्चों को आग में डाल देने जैसे अनर्थ न होते । मैं तो समझता हूं कि यदि इस देश की धरती पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यह धरती फट जाये और हम रसातल में चले जायें ।

हम जनता के प्रतिनिधि हैं । जनता ने बड़ी आशा के साथ हमें चुन कर यहां भेजा है । आज इस देश में जो कुछ हो रहा है, उस का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं । हमने जनता को भी वचन दिया है, अभी तक हम ने उसे पूरा नहीं किया है । जब इतने दिनों तक उसे पूरा नहीं किया है, तो जनता में निराशा और प्रतिकूल प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक है । इसलिए हमने जनता को जो वचन दिया है, हमें उसे निभाना ही होगा जिससे समूचे देश में फैले हुए असन्तोष और अशान्ति का निवारण किया जा सके ।

हमारे कुछ राज्यों ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं । वह प्रशंसा के पात्र हैं । जैसे बंगाल है । बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया है । उन्होंने कहा है कि पांच साल से जिन लोगों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर में लिखे हुए हैं और अगर उन को काम नहीं मिल सका है तो उनको वहां की सरकार बेकारी का भत्ता देगी । यह एक शुभारंभ है । इसी तरह पंजाब की सरकार ने भी एक निर्णय किया है कि वह भी उन लोगों को बेकारी का भत्ता देंगी जो लोग पांच वर्षों से एम्लायमेंन्ट एक्सचेंज के रिजस्टर में दर्ज हैं और उन्हें काम नहीं मिला है । महाराष्ट्र में भी यह किया गया है । मैं इस को पार्टी ईश्यू नहीं बनाना चाहता, आप इस को गलत न समझें । महाराष्ट्र की सरकार ने भी जो एम्प्लायमेंन्ट गारंटी स्कीम लागू की है उसके हम हृदय से प्रशंसक हैं । उन्होंने भी यह किया है कि तीन वर्षों से जो लोग काम चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल सका है तो उन्हें शायद वह एक रुपया रोज, तीस रुपया महीना ऐसा कुछ देंगे, लेकिन भूखों नहीं मरने देंगे । यह जिम्मेदारी कम से कम उन्होंने कबूल की है कि समाज की, राष्ट्र की, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि इस देश में जो पैदा हुआ है उस को भूखों नहीं मरने देंगे, उस को जीविका का अधिकार हम प्रदान करेंगे, यह समाज की जिम्मेदारी है । काम पाना जन्मसिद्ध अधिकार उस दिन से हो जाता है जिस दिन से हम इस भूमि पर पैदा होते हैं । जिस दिन से कोई इस वसुन्धरा पर आता है उस दिन से उसके प्रति समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे जीविका का अवसर प्रदान अवश्य

करे। उस का यह अधिकार हो जाता है कि वह अपना पूर्ण जीवन जिये और उसको वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। यह बात अगर कहीं भी स्वीकार की गई तो हम उसकी भूरिभूरि प्रशंसा करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एम्पलायमेंट गारंटी की स्कीम लागू की है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह स्वीकृति के लिए है। अभी उस को स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि न केवल उस को ही केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देगी बल्कि समूचे देश के लिए इसे स्वीकार किया जाएगा और लागू किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री सही माने में इस देश के महान गांधीवादी नेता हैं। सत्य पर उन की अटूट निष्ठा है। यह जो घोषणापत्र तैयार किया गया था इस में उन की भी सहमति है। यह वचन उन्होंने दिया है कि देश की जनता को इसलिए उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वह यह अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे आने वाली मानव जाति उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए याद रखे कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को काम करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया, हिन्दुस्तान को उन्होंने यह अमिट वरदान दिया और आगे आने वाली संतति के लिए भी सदा सदा के लिए यह वरदान दिया। कभी कभी वह यहां कह दिया करते हैं कि यह अनएम्प्लायमेंट एलावेंस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह डोल है, यह भिक्षा है, दान है। किन्तु यह भिक्षा नहीं है। यह अधिकार है। काम प्राप्त करने का हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। वे भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में हम पैदा हुए और आप से चाहते हैं कि आप इस अधिकार को स्वीकार करें और मान्यता प्रदान करें क्योंकि आप ने वचन दिया है और आपके वचन पर अगर हिन्दुस्तान का नागरिक विश्वास नहीं करेगा तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति इस देश के अन्दर है जिस के वचन पर विश्वास किया जायगा? इसलिए इस बात को नहीं कहना चाहिए कि यह डोल है, यह दान है, यह भिक्षा है। यह भिक्षा नहीं है। यह हमारा अधिकार है और हमें प्राप्त होना चाहिये। यहां के हर नागरिक को हर नवयुवक को यह मिलना चाहिए। इस से उस को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप वंचित रखना चाहेंगे तो इस देश की जनता अब यह जान गई है कि वह अपना अधिकार कैसे ले सकती है। अगर उसने अपनी लोकतांत्रिक आजादी का अधिकार ले लिया है तो वह काम और जीविका का अधिकार भी ले लेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कहा करती थीं कि 26 जून 1975 के पूर्व की स्थिति अब इस देश में कभी नहीं आएगी, वह समझती थी कि इस देश की नियति का निर्णय करने का अधिकार के वल उन को है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि 26 जून, 1975 के पूर्व की स्थिति आएगी तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी कुछ भी स्थिति नहीं है। देश की जनता ने यह बता दिया. कि 26 जून 1975 के पहले की स्थिति हम लौटा कर ही रहेंगे और वह कर के दिखा दिया। अगर हम यह कहेंगे कि यह अधिकार हम तुम्हें नहीं प्रदान करेंगे तो जिस तरह से उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से वह अधिकार ले लिया और उन को इतिहास के गर्त में ढकेल दिया, उसी तरह इतिहास के गर्त में हमारा भी कहीं पता नहीं रहेगा अगर हम ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया।

आज देश के नवयुवकों को बहुत बड़ा आघात लगा है। उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है भविष्य की अनिश्चितता की। उनकी इस भविष्य की अनिश्चितता को मिटाना, उनके भविष्य में प्रकाश लाना-यह हमारी सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य का यह दायित्व आज से ही नहीं है, प्राचीन काल में भी माना गया था कि राज्य का दायित्व है कि जो लोग उस राज्य में बसते हैं, उनको आघात से बचाये,

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

उनके ऊपर जो मुसीबत आयें उससे उनकी रक्षा करें। आज देश के नागरिकों के सामने, देश के नवयुवकों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी आशंका है भविष्य की अनिश्चितता और इस अनिश्चितता को मिटाना राज्य का कर्त्तव्य है। महाराज दलीप ने एक बार कहा था :

छतात् किल त्रायत् इत्युदग्रह :
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़: ।
राज्येन् किमतद् विपरीत वृत्ते:
प्राण रूराक्रोषमली मसैर्वा ।

छत्र का अर्थ है शासन। शासन शब्द दुनिया में प्रसिद्ध है। उसका अर्थ है कि शासन छत से, आघात से, मुसीबत से, संकट से लोगों को बचावे ; वही शासन होता है। जो शासन उसके विपरीत आचरण करता है उस हमको क्या लेना देना ? अगर राज्य हमको मुसीबत से नहीं बचा सकता, संकट से हमारी रक्षा नहीं कर सकता, आज देश मे व्याप्त भयावह बेकारी के संकट मे नहीं बचा सकता तो उस राज्य से हमे क्या लेना देना ? उसका अर्थ है कि उस प्राण से भी क्या प्रयोजन है जिसको ताडना सहनी पड़े, जिसको निंदा सहनी पड़े। यदि इस देश की जनता के सामने हमको यह सुनना पड़े कि तुमने जो वचन जनता को दिया था क्या वह पूरा किया तो इसको सुनने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। इस तरह के प्राण रखकर हम क्या करेंगे ? जो संभावित है, लोक मे प्रतिष्ठित है, जिसकी लोक मे इज्जत है उसकी अपकीर्ति हो जाये, उसके वचन पर विश्वास न रह जाये तो उसके लिए वह मृत्यु से भी दु:खद है।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप 25-30 मिनट बोल चुके है, अब दूसरों को भी मौका दीजिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं दो बातें कह कर समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप काम का अधिकार प्रदान कर दें यहां की जनता को तो एक बहुत बड़ा काम आपका और होगा, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह होगा कि आज जो सम्पत्ति का मोह है वह समाप्त हो जायेगा। अभी आज लोग सम्पत्ति क्यों इकट्ठी करते है ? लोग रिश्वत लेकर, काला धंधा करके और टैक्स की चोरी करके सम्पत्ति क्यों जोड़ते हैं ? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बाल बच्चों के लिए क्या होगा, उनके लिए तो हमे कुछ बचाकर रखना ही चाहिए। अगर उनको एक बार इस बात का विश्वास हो जाये कि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि उनको जीविका का अधिकार मिलेगा तो उन्हें अपने बाल बच्चों के लिए सम्पत्ति छोड कर जाने की आवश्यकता नही रह जायेगी। एक बार उनको विश्वास हो जाये कि उनके बाल बच्चे भूखे नही मरेंगे तो उनके मन से सम्पत्ति का मोह समाप्त हो जायेगा। हम सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालने की बात करते हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों का सम्पत्ति के प्रति मोह बना रहेगा और लोग गलत तरीके से सम्पत्ति एकत्र करते रहेंगे, धन का संचय करते रहेंगे क्योंकि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ बचाकर जायें—यह भावना उनके मन मे बनी रहेगी। इस सम्पत्ति के मोह को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम काम का अधिकार दे। अगर यह कहा जाये कि इस काम के लिए शासन के पास धन नही है तो यह बात भी स्वीकार नही की जा सकती। इसी साल सरकार ने 1075 करोड़ के घाटे का बजट पास कराया है। अगर उस घाटे को हम पूरा कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने फाइनेंशियल मेमोरैंडम में दिया है, अगर आप रोजगार का अधिकार देते हैं तो दस अरब रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस देश में नशाबंदी के लिए 4-6 अरब रुपए का घाटा हम बरदाश्त करते जा रहे हैं तब इस देश के नागरिकों को, इस देश के नवयुवकों

को काम का अधिकार देने के लिए क्या आ 4-6 अरब रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं ? यह काम केवल आज के लिए ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है । क्या इसके लिए आप इतना रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं ? लोग बड़ी खुशी से टैक्स देंगे । मैं इंग्लैंड में गया था, वहां लिखित कांस्टीटयूशन नहीं है लेकिन काम का अधिकार लोगों को है । वहां हमने देखा कि अगर किसी को एक हफ्ते में 21 पौंड मजदूरी मिलती है तो उसे 6 या साढ़े 6 पौंड टैक्स देना पड़ता है । और बड़ी खुशी से दे देता है, कोई टैक्स इवेजन नहीं होता है। क्यों दे देता है ? इसलिये कि वह जानता है कि बचा कर क्या करना है मेरे लड़के को अन-एम्पलायमेन्ट बेनिफिट मिलेगा या काम मिलेगा । हिन्दुस्तान से जो लोग इंग्लैंड जाते हैं, वे वहां घर खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के लोग किराये के मकान में रहते हैं और हिन्दुस्तान के लोगों पर हंसते हैं । वे जानते हैं कि हमारे लडके को तो घर मिलेगा ही, इसलिये खरीद कर क्या करना है । जहां-कहीं भी इस तरह की व्यवस्था है, वहां टैक्स इवेजन नही होता है, काला-धन इकट्ठा नहीं होता है, वहां सम्पत्ति का मोह भी नहीं होता है।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, बहुत अधिक विस्तृत ढंग से कहने की जरूरत नहीं है । प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी किया जाना चाहिये । हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के अन्दर इस काम को किया जायेगा, 1960 तक यूनीवर्सलाइज करना था, लेकिन 1978 आ गया, आज तक प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी नहीं हुआ । इसलिये इस को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक तीसरी बात का सम्बन्ध है— मैंने इस में यह अनुच्छेद जोड़ा है कि वृद्धावस्था में पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिये । यह पेन्शन उन वृद्धों को मिलनी चाहिये—जिन के पास कोई साधन नहीं है । आप ने पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को पेन्शन देने की व्यवस्था की है वे राजे-महाराजे जिन के पास अरबों की सम्पत्ति है, यदि वे 5 वर्ष पार्लियामेन्ट के मेम्बर रह चुके हैं तो उन को भी पेन्शन मिल रही है और देश का गरीब, हरिजन, आदिवासी जो 60 वर्ष काम करने के बाद काम के लायक नहीं रह जाता है, वह पेन्शन पाने का अधिकारी नहीं है। आई०ए० एस० और आई० सी एस० अफसरों को पेन्शन मिलती है चाहे वे रिटायर होने के बाद भी किसी भी ओहदे पर काम करते हों, अगर वे मिनिस्टर बन जायें तो भी उन्हें पेन्शन मिलती है, लेकिन इस देश के साधारण से साधारण नागरिक को, गरीब-से-गरीब नागरिक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, 60 वर्ष के बाद जब वह काम करने के लायक नहीं रहता, तो भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं हैं । इसलिये मैं यह संशोधन चाहता हूं कि उस को भी पेन्शन पाने का अधिकार मिलना चाहिये ।

मुझे विश्वास है कि सारा सदन मेरे इस संविधान संशोधन विधेयक का एक स्वर से समर्थन करेगा । यह किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है, किसी विशेष पक्ष का प्रश्न नहीं है, समूची मानवता को प्रेरणा देने का प्रश्न है देश की जनता को जो आपने वचन दिया है उसे पूरा करना है । इसलिये मुझे विश्वास है कि मेरा यह विधेयक एक स्वर से पारित होगा ।

Mr. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, आदरणीय शास्त्री जी ने जिस साधु-विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है, उस के सम्बन्ध में कोई विचार-वैभिन्य

[डा० रामजी सिंह]

नहीं हो सकता है । वस्तुत : जीवन में अजीविका का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है । जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था—स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से जीविका का भी अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । हमारे संविधान के निदेशक-सिद्धान्तों में अनुच्छेद 39 में इस का विधान-निर्माताओं ने पहले ही उल्लेख किया था, लेकिन आज 30 वर्ष के बाद भी यह एक दिवास्वप्न ही रहा है और अभी जनता पार्टी ने भी जो छठी पंच वर्षीय योजना प्रस्तुत की है उस में भी यह पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं होने की ही बात है । इसलिये यह आवश्यक है कि केवल शासकों पर, चाहे वे जिस दल के हों, यह नतिक ही नहीं बल्कि वैधानिक दायित्व भी हो इस दृष्टि से काम का अधिकार संविधान में अंकित कर लिया जाय । जब तक यह हमारे मौलिक अधिकार में नहीं रहेगा, शासक और प्रशासक इसको किसी न किसी बहाने टालते ही रहेंगे ।

यह कहा जाता है कि यह बात तो अच्छी है, लेकिन यह व्यवहार्य नहीं है । सभापति महोदय, दुनिया के अनेक देशों में जब यह व्यवहार्य हो सकती है, तो भारत में व्यवहार्य क्यों नहीं हो सकती । रूस के संविधान की धारा 118 में दिया गया है—

"The citizens of the U.S.S.R. shall have the right to work, that is the right to guaranteed employment and payment for their work in accordance with its quantity and quality."

रूस का तो बहुत पहले से था लेकिन युगोस्लाविया के संविधान की धारा 159 में यह लिखा हुआ है :

"The right to work shall be guaranteed.

"Rights acquired on account of labour shall be inalienable."

मैं विस्तार से तो इस में नहीं जाऊंगा लेकिन बहुत सारे देशों के संविधानों में यह बात है । जापान एशिया का देश है और जापान के संविधान की धारा 27 में यह लिखा हुआ है :

"All people shall have the right and obligation to work. Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law. Children shall not be exploited."

उसी तरह से फिर अगर हम एशिया से योरप की तरफ जाएं, तो छोटे से देश रोमानिया की तरफ अगर ध्यान देते हैं, तो उन के संविधान में भी धारा 18 में यह लिखा हुआ है :

"In the Socialist Republic of Rumania, the citizens have the right to work. Each citizen is given the possibility to carry on, according to his training an activity in the economic, administrative, social or cultural field and is remunerated according to its quantity and quality. For equal work there is equal pay."

इस प्रकार से दुनिया के अनेक देशों में जैसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के संविधान की धारा 24 में यह है :

"Every citizen of the German Democratic Republic has the right to work. He has the right to employment and its free selection in accordance with social requirements and personal qualifications. He has the right to pay according to the quality and quantity of the work. Men and women, adults and young people have the right to equal pay for equal work/output."

इसी तरह से दुनिया के अन्य देशों के संविधानों में ऐसा दिया हुआ है । चीन के संविधान की धारा 27 में, जो संविधान 1975 में लागू हुआ था, लिखा हुआ है :

"Acticle 27 of 1975 Constitution *inter alia* provides 'citizens 'have the right to work and the right to education'. Working people have the right to rest and the right to matierial assistance in old age and in case of illness or disability."

मैंने इन देशों के संविधानों का इसलिए जिक्र किया है कि अगर हमारे यहां कहा जाता है कि यह व्यवहारिक नहीं है तो यह केवल एक प्रकार का लोगों के सामने एक जाल खड़ा करना है । यह व्यवहारिक

हो सकता है अगर इस के लिए राजनीतिक संकल्प हो । अगर इस के लिए पालिटीकल बिल हो, तो यह लागू हो सकता है । हमारे हृदय मे राजनीतिक सकल्प नही होगा, तो जिस तरह से 30 वर्षों मे यह लागू नहीं हुआ तो अगले 100 वर्ष मे भी लागू नही हो सकता है । इसलिए यह हमारे ध्यान मे रखने की बात है और हमारी जनता पार्टी की सरकार का तो यह नैतिक अनुबध है । अगर वह वायदा-खिलाफी इस सम्बन्ध मे करती है, तो जनता पार्टी की सरकार मे रहने के हम हकदार नही हैं । जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस की जो आर्थिक रूप रेखा है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो उस मे पहली चीज यह दी गई है, 'सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को रद्द करना ।' यह बहुत खुशी की बात है कि जनता पार्टी इस दिशा मे आगे बढ़ रही है और सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं । यह तो प्रथम हुआ ...

MR CHAIRMAN : Dr. Ramji Singh, you will continue on the next occasion. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, May 6 1978/Vaisakha 16, 1900 (Saka).

MGIPND—JOB III—1014 LS—8-7-78—